न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– रोहिताश्व सिंह तोमर (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या– 35/2025

बउनवान

रणवीर सिंह आयु 52 वर्ष पुत्र श्री रामनारायण उचित मूल्यदुकानदार C.F.P.S.- CODE 7014 ग्राम पंचायत उदपुरिया तहसील मांगरोल जिला बारां राज० (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये जिला रसद अधिकारी, बारां जिला बारां (राज.) (रेस्पोंडेंट)

अपील अन्तर्गत धारा 22(A) राज. खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 बनाराजगी निर्णय व आदेश दिनांक 05.02.2025 विभागीय प्रकरण संख्या 28/2024 कार्यालयं जिला रसद अधिकारी–बारां, बउनवान राजस्थान सरकार बनाम रणवीर सिंह

जिला कलेक्टर बारां (राज०)

उपस्थिति :–1.श्री असलम भारती, अभिभाषक (अपीलांट)
2. पेरोकार रसद (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक– 31.12.2025

1– अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभागीय पोर्टन अनुसार N.F.S.A. गेहूँ का स्टॉक 18392.49 किलोग्राम अन्नपूर्णा फूड पेकेट–21, अन्नपूर्णा ऑयल पेकिट–21 अवशेष का गबन मानकर कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल व त्रुटि की है। अपीलांट ने कारण बताओं नोटिस दिनांक 18.03.2024 का जवाब अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया है कि पोश मशीन में तकनीकी खराबी के कारण अवशेष रहा है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने जवाब को पढा नही या जानबूझकर अपीलान्ट के स्टॉक व वितरण का भौतिक निरीक्षण करना उचित नहीं माना। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय काबिल खारिजी है क्योकि निर्णय के अनुसार दिनांक 07.02.2025 को जारी आदेश में प्राधिकार पत्र संख्या 89/2003 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया। जबकि निर्णय दिनांक 05.02.2025 में प्राधिकार पत्र संख्या 52/2002 को निरस्त करने की घोषणा की है। जिससे निर्णय व आदेश विरोधाभाषी है जो काबिल खारिज है। अपीलान्ट द्वारा जवाब प्रस्तुत करने के बाद भी उसे सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट को जवाब प्रस्तुत करने के बाद सबूत पेश करने की कोई तारीख पेशी नही दी गई। जिससे वह वक्त निर्णय भी हाजिर होता। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने एकतरफा निर्णय पारित किया है जो काबिल खारिज है। अपीलान्ट ने जानबूझकर आपराधिक मनः स्थति से जारी प्राधिकार पत्र की किसी भी शर्त का उल्लघन नही किया है तथा मशीनी खराबी की सूचना विभाग को दे दी गयी थी। उसके बाद भी अपीलान्ट को राशन सामग्री की सप्लाई की गई। जिससे अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र संख्या 89/2003 बहाल किया जाना विधि संगत एवं न्यायहित में होगा। अतः अपील स्वीकार कर जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रकरण संख्या 28/2024 मे पारित निर्णय दिनांक 05.02.2025 को निरस्त कर अपीलान्ट के प्राधिकार पत्र संख्या 89/2003 को बहाल करने की कृपा करे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में जिला रसद अधिकारी, बारां से अभिलेख प्राप्त होने पर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार रसद पेश प्रकरण नियत किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2026.01.30 17:48:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

अपील प्रस्तुत की है अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की प्रति संलग्न है।

3— दौराने बहस वकील अपिलाण्ट उपस्थित नहीं होने के कारण हमने एकपक्षीय बहस पेरोकार रसद की सुनकर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने का विनिश्चय किया।

4— बहस के दौरान पेरोकार रसद ने निवेदन किया कि अपीलांट को विधिवत सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। अपीलांट अधीनस्थ कार्यालय में उपस्थित रहा तथा अपीलांट द्वारा जवाब नोटिस भी प्रस्तुत किया गया जो पत्रावली में संलग्न है। परंतु अपीलांट ने प्रस्तुत जवाब के समर्थन में कोई साक्ष्य/दस्तावेज अधीनस्थ न्यायलय में पेश नहीं किये। इस प्रकार अधीनस्थ कार्यालय के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है तथा उनके द्वारा नियमानुसार ही अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

5— हमने एकपक्षीय बहस पेरोकार रसद पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही में अपीलांट ने जवाब भी पेश किया है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब पेश किया है परंतु अवशेष स्टॉक अटैच डीलर को नहीं संभलाया इससे अपीलांट द्वारा उक्त अवशेष स्टॉक का गबन किया जाना प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं पायी जाती है तथा अपील अपीलांट सारहीन होना पाई जाती है।

अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बारां (राज०)

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर,बारां
जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2026.01.30 17:48:09 IST
Reason: SelfAttested

अपील प्रस्तुत की है अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की प्रति संलग्न है। -